

स० स० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक . . .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जलेश्वर सिंह पिता— जगदीश सिंह ग्राम— बैजलपुर जमुनी वार्ड 06 पो०— बैजलपुर थाना— सोनपुर जिला— सारण सीआर न०— 108112301184718	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	प्रदीप कुमार पिता— राजमंगल सिंह ग्राम— बैरिया वार्ड 12 पो०— बैरिया थाना— पिपराही जिला— शिवहर सीआर न०— 108112601576961	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	परमानन्द राम पिता— बाबूलाल राम ग्राम— गनौल वार्ड 15 पो०— कुजौरी थाना— आलमनगर जिला— मधेपुरा सीआर न०— 108112601429577	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	वीणा सिंह पति— धनजय कुमार सिंह ग्राम— महथा वार्ड 07 पो०— करसाव थाना— फेसर जिला— औरंगाबाद सीआर न०— 108112400154529	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	पिटू कुमार अकेला पिता- दीनदयाल प्रसाद ग्राम- टीमलपुर पो0- सैदाबाद थाना- पाली जिला- जहानाबाद सीआर न0- 108112501315451	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	आरती देवी पति- फुलेना राय ग्राम- नया टोला चकिया वार्ड 34 पो0-बी0टी0पी0एस0 थाना- चकिया जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112500746695	ब्रेन ट्यूमर/सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	डोमन राम पिता- कैलू राम ग्राम- सैठना पो0- सलौजा थाना- हलसी जिला- लखीसराय सीआर न0- 108112601879891	हृदय रोग एवीआर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सरिता देवी पति- राजेश महतो ग्राम- बिष्णुपुर सुक्कन टोला वार्ड 43 पो0- मिर्जापुर थाना- बेगूसराय जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112502037098	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	मो0 नदीम पिता- मजिबुल रहमान ग्राम- रामखेतरी वार्ड 04 पो0- सिमरी थाना- राजनगर जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112600986553	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	पवन कुमार पिता- अवध किशोर सिंह ग्राम+पो0+थाना- मउ जिला- गयाजी सीआर न0- 108112601145994	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	चिता देवी पति- रामाशीष प्रसाद ग्राम- कचनपुर वार्ड 04 पो0- काशीपुर थाना- नरारी कला खुर्द जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112401106307	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	पुनिता देवी पति- जीवछ लाल देव ग्राम- जतुका पो0- भण्डारिसम थाना- मनगाछी जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112503620102	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	नासिर हुसैन पिता- कदीर हुसैन ग्राम- दरगाह रोड नई अजीमाबाद कॉलोनी सुल्तानगज पो0- महेन्द्र थाना- सुल्तानगज जिला- पटना सीआर न0- 108112600721461	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	शिवशकर पंडित पिता- दीनानाथ पंडित ग्राम- बहोरा टोला पो0- गोपालगज थाना- माझागढ जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112601367121	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	रीता देवी पति- विश्वनाथ महतो ग्राम- माधोपुर वार्ड 04 पो0- माधोपुर थाना- बरौली जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112300702057	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	सुहागवती देवी पति- राजकिशोर महतो ग्राम+पो0- योगीवाना थाना- बथनाहा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112402887612	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	विशाल कुमार पिता- डोमन राउत ग्राम- शेखाबिगहा वार्ड 48 पो0- अलीपुर थाना- बुनियादगज जिला- गयाजी सीआर न0- 108112601166437	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	माला देवी पति- रजीत कुमार जैसवाल ग्राम- सिमली नबाब गंज छोटी मदिर पो0- माधव मिल्स थाना- मालसलामी जिला- पटना सीआर न0- 10811240201500	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	अरुणोदय कुमार पाण्डेय पिता- ब्रिज बिहारी पाण्डेय ग्राम- धूपनगर धोबवाल वार्ड 07 पो0- धूपनगर धोबवाल थाना- खैरा जिला- सारण सीआर न0- 108112403330115	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	स्नेहलता देवी पति- अशोक पासवान ग्राम- रामपुर पो0- मननपुर थाना- चानन जिला- लखीसराय सीआर न0- 108112300398153	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	सुनीता कुमारी पिता- स्व0 जागेश्वर राम ग्राम- महमदपुर देवपार वार्ड 06 पो0+थाना- पूसा जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 10811261389214	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	निर्मला देवी पति- लाल बहादुर साह ग्राम- हरपुर पूसा वार्ड 06 पो0+थाना- पूसा जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112600557954	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	संजय सिंह पिता- स्व0 हिरा सिंह ग्राम- नियामतपुर वार्ड 03 पो0- घोरहुआ थाना- मसौढी जिला- पटना सीआर न0- 108112601756616	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	सबरून खातून पति- इलियाश मिया ग्राम+पो0- अम्बा थाना- तेघडा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112601324597	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	मनोहर राय पिता- शिवनदन राय ग्राम- हवनपुरा पो0- भडारी थाना- रहुई जिला- नालदा सीआर न0- 108112601630264	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	बलदेव तिवारी पिता- सपाट दास ग्राम+पो0- परवाहा थाना- फारबिसगंज जिला- अररिया सीआर न0- 108112601448091	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	मुन्नी बेगम पति- फरियाद ग्राम- लहरा फुलबारी पो0- चकला थाना- किशनगज जिला- किशनगज सीआर न0- 108112601735026	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	रेणु देवी पति- नथुनी महतो ग्राम- प्रभु ठाकुर मोहल्ला वार्ड 16 पो0+थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112601331020	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	लछिया देवी पति- बुधन विश्वास ग्राम- नारायणपुर वार्ड 12 पो0- नारायणपुर थाना- भपटियाही जिला- सुपौल सीआर न0- 108112300948609	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	विरेंद्र प्रसाद यादव पिता- उमी प्रसाद यादव ग्राम+पो0- झलाडी थाना- ग्वालपाडा जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112601804076	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	सृष्टि प्रिया पिता- रघुवश कुमार ग्राम- शीतल भकुरहर वार्ड 03 पो0- मणि भकुरहर थाना- सराय जिला- वैशाली सीआर न0- 108112601398728	कैसर रोग / द्यूमर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	समिता देवी पति- स्व0 चद्रमोहन प्रसाद सिंह ग्राम- मिर्जापुर दीघरा पो0- रामगढ थाना- अवतारनगर जिला- सारण सीआर नं0- 108112503334932	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	तेहरून निशा पति- सिराजुद्दीन ग्राम- नया भरगामा वार्ड 05 पो0+थाना- भरगामा जिला- अररिया सीआर न0- 108112601673150	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	सपना देवी पति- अजय झा ग्राम- तेलडीहा वार्ड 02 पो0+थाना- टीकापट्टी जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112601319631	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	फिदा पिता- मो0 कुर्बान ग्राम- मीरापुर टोले बोअरिया पो0- मीरापुर थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112601232382	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	राम लाल साह पिता- महेद्र साह ग्राम- भोजा वार्ड 07 पो0- भोजा थाना- छौडाही जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112600332235	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	परमेश्वर ठाकुर पिता- सहदेव ठाकुर ग्राम- तुरकौलिया वार्ड 11 पो0- माधोपुर थाना- बथनाहा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112601654228	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	खैरूल बेगम पति- मैनुद्दीन ग्राम- छपिया पो0- इसुआपुर थाना- सहाजितपुर जिला- सारण सीआर न0- 108112502698990	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	मो0 वाहब पिता- शाबुद्दीन ग्राम- महेन्द्रपुर पो0- भोगा भटगामा थाना- सदर जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112502923179	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	बेचनी देवी पति- अनदी यादव ग्राम- बरियाही वार्ड 06 पो0- जीतापुर थाना- गुरलीगंज जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112601276495	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	प्रतिभा देवी पति- भूपेन्द्र यादव ग्राम- मानगज पो0- मानगज वेस्ट थाना- जदिया जिला- सुपौल सीआर न0- 108112601393378	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	रजू देवी पति- राजेश शर्मा ग्राम- नवादा वार्ड 12 पो0- मुकरेश थाना- रिविलगज जिला- सारण सीआर न0- 108112601445131	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	जकिरा बेगम पति- समसाद मिया ग्राम+पो0- बेला थाना- दरियापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112601283602	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	शम्भू मिश्रा पिता- हरदेव मिश्रा ग्राम- बुधौल वार्ड 05 पो0+थाना- नवादा जिला- नवादा सीआर न0- 108112601157437	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	पुरुषोत्तम कुमार पिता- बबलू दास ग्राम- जनकपुर पो0- उमता थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद सीआर न0- 108112601376171	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	अर्जुन प्रसाद सिंह पिता- शिवलक सिंह ग्राम- नवीनगर पो0- तुगी थाना- दीपनगर जिला- नालदा सीआर न0- 108112601594900	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	निभा देवी पति- अवधेश सिंह ग्राम- चौद ठहरा वार्ड 02 पो0+थाना- मकर जिला- सारण सीआर न0- 108112600020951	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	विश्वनाथ सहनी पिता- गुनर सहनी ग्राम- रूपनगर पो0- नेउरी थाना- बिरौल जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112601428716	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	मजू देवी पति- स्व0 प्रगाश प्रसाद ग्राम- समस्ती वार्ड 16 पो0- मुरौरा थाना- दीपनगर जिला- नालदा सीआर न0- 108112601212373	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	मीरा सिन्हा पति- बिभूति भूषण प्रसाद सिन्हा ग्राम- शास्त्री कॉलोनी वार्ड 07 पो0+थाना- जमुई जिला- जमुई सीआर न0- 108112601712937	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	राजनंदन प्रसाद पिता- रामदयाल प्रसाद ग्राम+पो0- नेहालपुर थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद सीआर न0- 108112601676493	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	बिरजन विश्वकर्मा पिता- बैजनाथ विश्वकर्मा ग्राम- नेहोरा पो0+थाना- कोच जिला- गयाजी सीआर नं0- 108112503262249	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	राजेद्र पासवान पिता- दरोगी पासवान ग्राम- दहियारी वार्ड 03 पो0- बेटिया थाना- सोनो जिला- जमुई सीआर न0- 108112601783613	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	चदेश्वर पासवान पिता- गुलटेन पासवान ग्राम- मोहनपुर पो0- मीरापुर थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112402333927	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	मदन कुमार पटेल पिता- सिकेन्द्र पटेल ग्राम- उसरी वार्ड 05 पो0- उसरी थाना- कुशेश्वरस्थान जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112600902571	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	अलफुन निशा पति- फारुक आलम ग्राम- अल्ताबरी पो0- गगी हाट थाना- बहादुरगज जिला- किशनगज सीआर न0- 108112601121831	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	शिला देवी पति- छटु ठाकुर ग्राम- चक्रवार्ता वार्ड 34 पो0+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112601027746	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	जान्ची सिंह पिता- सुनील कुमार सिंह ग्राम- रक्दू टोला वार्ड 13 पो0- जितौरा थाना- पीरो जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112601584670	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	पशुपति पासवान पिता- शुखदेव पासवान ग्राम- खोआजपुर पो0- पस्तारा थाना- बलिगाव जिला- वैशाली सीआर न0- 108112601711493	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	विशाखा देवी पति- स्व0 मुकेश कुमार यादव ग्राम+पो0- गगापुर थाना- भपटियाही जिला- सुपौल सीआर न0- 108112301271777	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	अर्चना देवी पति- मनोज यादव ग्राम- बेली घाट रोड साहबगज पो0- चम्पानगर थाना- यूनवर्सिटी जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112601405392	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	महेश्वर सिंह पिता- कोदई सिंह ग्राम- नरहा वार्ड 07 पो0-नरहा थाना- बथनाहा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112600522786	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	राजकुमारी देवी पति- रामानुज राम ग्राम- अहिले पो0- कुर्मीचक थाना- नारायणपुर जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112601789450	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	योगेद्र मेहता पिता- सोमन मेहता ग्राम- मनसापुर पो0+थाना- करजाईन जिला- सुपौल सीआर न0- 108112601541369	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	अरविंद कुमार राय पिता- वशलाल राय ग्राम- बरुआरी पो0- गढ़ बरुआरी थाना- लौकहा जिला- सुपौल सीआर न0- 108112601707003	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	रबिकांत कुमार पिता- सुखदेव सिंह ग्राम- कुहिला वार्ड 09 पो0- कुहिला थाना- अकबरपुर जिला- नवादा सीआर न0- 108112601394684	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	सीमा देवी पति- चंद्र देव महतो ग्राम- दौलतपुर चादी पो0- हरौली थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112601527587	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

68	मिथला यादव पिता- रालझान यादव ग्राम- रौनिया चक वार्ड 05 पो0- बारा थाना- भगवानगज जिला- पटना सीआर न0- 108112601612967	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
69	किरण कुमारी पिता- बच्चा सिंह ग्राम- बाला वार्ड 06 पो0- किशुनपुरा थाना- लकडी नवीगज जिला- सिवान सीआर न0- 108112601893192	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
70	सोनावक्षी कुमारी वर्मा पिता- मटू कुमार ग्राम- खरीना बुजुर्ग वार्ड 01 पो0- बरपा थाना- पौथु जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112601716568	कोकलियर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
71	साथ्वीक शर्मा पिता- अमन शर्मा ग्राम- पटेल नगर पो0- एलवीएस नगर थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना सीआर न0- 108112600458247	कोकलियर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
72	राम सेवक सिंह पिता- स्व0 चंदो सिंह ग्राम- आदर्श विहार कॉलोनी रुकनपुरा वार्ड 03 पो0- बी0भी0 कॉलेज थाना- रूपसपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112601713143	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
73	राज कुमार साह पिता- तिलक साह ग्राम- लोहानी पट्टी पो0- मालपुर थाना- पातेपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112300919111	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	अनिल कुमार पिता- जगदीश प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- अर्राहा थाना- घैलाढ जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112401856021	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	गृजेश कुमार श्रीवास्तव पिता- कन्हैया प्रसाद ग्राम- रामपुर कोडर पो0- कैसरिया थाना- केसिराया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112403514259	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	विनय कुमार साहनी पिता- चंद्रदेव साहनी ग्राम- शेखडुमरी पो0- गोपालपुर थाना- नयागाव जिला- सारण सीआर न0- 108112300972071	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	पूर्णमा देवी पति- रिझान सिंह ग्राम- 103 हार्डी एस्टेट बैंक रोड पो0- जी पी ओ थाना- गांधी मैदान जिला- पटना सीआर न0- 108112400976197	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	दयाकांत मिश्रा पिता- कन्हैया मिश्रा ग्राम- बिजधरी निजामत पो0- बिजधरी थाना- केसरिया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर नं0- 108112601539151	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	रविनाथ प्रसाद सिंह पिता- देव नारायण सिंह ग्राम- खजवत्ता पो0- चक सिकंदर थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली सीआर नं0- 108112102098917	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			68,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 68,00,000/- (अड़सठ लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-“निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना”खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2195(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक ...

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **22.07.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	परी कुमारी पति— राज कुमार ग्राम— मनेर चर्च वार्ड 20 पो0+थाना— मनेर जिला— पटना सीआर न0— 109112601342751	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सुर्याशु कुमार पिता— रवि कुमार ग्राम— सलेमपुर वार्ड 10 पो0— सलेमपुर थाना— किंजर जिला— अरवल सीआर न0— 109112502588641	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	राजकुमारी देवी पति— जगनारायण सिंह ग्राम— नई पजाबी कॉलोनी चितकोहरा वार्ड 12 पो0— अनीसाबाद थाना— गर्दनीबाग जिला—पटना सीआर नं0— 109112601070572	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

4	आइस कुमार पिता- सनोज चौधरी ग्राम- बनगामा वार्ड 07 पो0- उटेशरा थाना-सलखुआ जिला- सहरसा सीआर न0- 109112600814845	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	कमला देवी पति- लालबाबू सिंह ग्राम- सिकरिया वार्ड 18 पो0- पहरपुर थाना- अगिआव जिला- भोजपुर सीआर नं0- 109112600487712	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	कुमार ललित मोहन पिता- स्व0 कौशलेन्द्र शर्मा ग्राम- सरौती वार्ड 03 पो0+थाना- रामपुर चौरम जिला- अरवल सीआर नं0- 109112600450703	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सोहैल परवेज पिता- अली हैदर आलम ग्राम- भरतपुरा वार्ड 05 पो0- भरतपुरा थाना- दुल्हिन बाजार जिला- पटना सीआर न0- 109112600930390	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	फुला देवी पति- जीवनद शर्मा ग्राम- कमरगामा पो0- लखनपुर थाना- तारापुर जिला- मुंगेर सीआर न0- 109112601042498	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	विना कुमारी पति- विक्की कुमार साह ग्राम-इसोपुर राय चोक ईस्ट पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना सीआर नं0- 109111900863043	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	गौरी देवी पति- राम बहाल सिंह ग्राम- निरजनपुर वार्ड 40 पो0- सारिमपुर थाना- औधोगिक जिला- बक्सर सीआर न0- 109112600996463	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

11	पूनम शर्मा पति— दीपक शर्मा ग्राम+पो0— महिसौर थाना— जन्दाहा जिला— वैशाली सीआर न0— 109112502474912	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
12	मनोज राय पिता— लगिन्द्र राय ग्राम— डुमरी दक्षिणी पो0— डुमरी थाना— मोहनपुर जिला— समस्तीपुर सीआर नं0— 109112600520663	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
13	सुनीता देवी पति— धर्मद्र पासवान ग्राम— नारी खुर्द वार्ड 09 पो0— नारी खुर्द थाना— तिसिऔता जिला— वैशाली सीआर न0— 109112600971258	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
14	श्रवण कुमार सिंह पिता— किशुन सिंह ग्राम— खानपुर पकडी वार्ड 15 पो0— खानपुर पकडी थाना— बिदुपुर जिला— वैशाली सीआर नं0— 109112600495901	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
15	मिटू कुमारी पति— राज कुमार ग्राम— इस्माइलपुर पो0— भारथु थाना— घोषी जिला— जहानाबाद सीआर न0— 109112200001977	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
16	सबीना खातून पिता— लियाकत अली ग्राम— हकमा वार्ड 15 पो0+थाना— गरखा जिला— सारण सीआर न0— 109112600447940	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
17	निर्मला देवी पति— जीवछ ठाकुर ग्राम— खजौली वार्ड 04 पो0+थाना— खजौली जिला— मधुबनी सीआर नं0— 109112601074802	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत ।

18	ऋतिक कुमार पिता— संतोष पासवान ग्राम— हसनपुर जितवारपुर पो0— समस्तीपुर थाना— मुफ्फसिल जिला— समस्तीपुर सीआर न0— 109112601090000	हीप रिप्लेसमेट	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
19	सुदामा राम पिता— रूदल राम ग्राम— कसीना पो0— गोपुर थाना— गरखा जिला— सारण सीआर न0— 109112600680687	हीप रिप्लेसमेट	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
20	पवित्री देवी पति— लक्ष्मी महतो ग्राम— मधुबन पो0— अधराठाढी थाना— अन्धाटारही जिला— मधुबनी सीआर न0— 109112601244350	हीप रिप्लेसमेट (लेफ्ट)	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
21	शिवलोक पाल पिता— राजमोहन पाल ग्राम+पो0— बलिगॉव थाना— रफीगज जिला— औरंगाबाद सीआर नं0— 109112600374497	हीप रिप्लेसमेट (लेफ्ट)	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
22	संजू कुमारी पिता— पप्पू रजक ग्राम+पो0+थाना— बहोरनपुर जिला— भोजपुर सीआर न0— 109112500233012	टोटल हीप रिप्लेसमेट	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
23	मुन्नी देवी पति— पासपति साहनी ग्राम+पो0— बारवे थाना— दिरयापुर जिला— सारण सीआर न0— 109112600899255	टोटल नी रिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
24	नंद किशोर प्रसाद यादव पिता— देवचरण प्रसाद यादव ग्राम— भगवानपुर पो0— ढिबर थाना— फतेहपुर जिला— गयाजी सीआर नं0— 109112601208396	टोटल नी रिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

25	अनीता शर्मा पिता— बद्री नारायण शर्मा ग्राम— कन्हौली धनराज पो0— कन्हौली थाना— महुआ जिला— वैशाली सीआर नं0— 109112601124621	टोटल नी रिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
26	सुशीला देवी पति— जमादार राय ग्राम— हरना वार्ड 67 पो0— मस्तीचक थाना— दरियापुर जिला— सारण सीआर नं0— 109112600733837	टोटल नी रिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
27	मालती देवी पति— ध्रुव साह ग्राम— पुजहा पटजिरवा पो0— पटजिरवा थाना— श्रीनगर जिला— पश्चिम चम्पारण सीआर नं0— 109112601156035	टोटल नी रिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			24,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 24,20,000/- (चौबीस लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000868.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 579310110008985 खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2196(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/26
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अर्चना सिंह पति- सजय कुमार सिंह ग्राम+पो०- मणिपुर दहिला थाना- गायघाट जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2026/003977	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	महेश्वर शर्मा पिता- भुदू शर्मा ग्राम- गोपालपुर पो०- सैदपुर थाना- गोपालपुर जिला- भागलपुर केस फाईल न०- 19एफ2026/002550	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	बिनोद कुमार पिता- सच्चिदानंद दास ग्राम- सैदाबाद पो०- मोहनपुर थाना- राघोपुर जिला- वैशाली केस फाईल न०- 19एफ2025/004440	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	अरुण कुमार पिता- मोती महतो ग्राम+पो०- गनीपुर बेझा थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2026/001280	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	निशारदा देवी पति- अर्जुन शर्मा ग्राम+पो0- जगन्नाथपुर थाना- बिरौल जिला- दरभंगा केस फाईल न0- 19एफ2026 / 003924	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	महेश महतो पिता- कपलू महतो ग्राम+पो0- कटेसर थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 004475	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सीता देवी पति- रामजतन दास ग्राम- परसा पो0+थाना- पकडीदयाल जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2025 / 001443	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	मो0 साहीद पिता- मो0 अतहर ग्राम- तुर्कटोलिया पो0- बेनीबाद थाना- बनीबाद जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 003378	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	रमेश प्रसाद चौधरी पिता- शिव नदन चौधरी ग्राम+पो0- घेघवा थाना- मधुबन जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 11एफ2026 / 002922	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	गीता देवी पति- स्व0 उमेश चौधरी ग्राम- चकबरकुर्बा पो0- बिशुनदत्तपुर थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2024 / 006565	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	मजुला देवी पति- राम चरित्र साहू ग्राम- परवलपुर पो0- दलदल थाना- भेजा जिला- मधुबनी केस फाईल न0- 19एफ2026 / 004721	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	छोहरिया देवी पिता- भोला चौधरी ग्राम- मथना मिल्क पो0- बाघी थाना- कटहरा जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2025 / 007514	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	मनिषा कुमारी पिता- रमउगर राय ग्राम- धरहरवा पो0- दिपही थाना- चिरेया जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2025 / 002878	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	धनेश्वरी देवी पति- रामश्रेष्ठ सहनी ग्राम- अब्दुलपुर रैनी पो0- रैनी थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 001547	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	रामललित सिंह पिता- रधुनि सिंह ग्राम- मोहनपुर दहीवन पो0- आदिगोपालपुर थाना- बोचहा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025 / 007516	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	मास्टर अफान असारी पिता- जावेद असारी ग्राम- हरिहरा पो0- सगरदीना थाना- शिकारगज जिला- पूर्व चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026 / 004920	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
17	कुमारी वदना रानी पति- विजय कुमार ग्राम- आजाद कॉलोनी माडीपुर पो0- प्रधान डाकघर थाना- काजी मोहम्मदपुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025 / 006499	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	अमना खातून पति- मो0 इसराफिल ग्राम+पो0- राजवाडा थाना- साहेबगज जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025 / 004747	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	रजीत कुमार पोद्दार पिता- देवनारायण पोद्दार ग्राम- खजुरी पो0- खजुरी हाट थाना- भरगामा जिला- अररिया केस फाईल न0- 19एफ2026/002180	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	सुनीता देवी पति- उपेन्द्र साह ग्राम- राजडीह पो0- वृन्दावन थाना- तरियानी जिला- शिवहर केस फाईल न0- 19एफ2026/003808	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	वदना देवी पति- सजय कुमार ग्राम+पो0- नोनीमल थाना- राजेपुर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026/002201	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	रैतम साह पिता- सिकंदर साह ग्राम+पो0- नारायणपुर थाना- तरैया जिला- सारण केस फाईल न0- 19एफ2025/006162	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	अनिल कुमार भगत पिता- काशी प्रसाद ग्राम- नयाटोला सूर्यपुरा वार्ड 03 पो0+थाना- सूर्यगढा जिला- लखीसराय केस फाईल न0- 19एफ2026/000116	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	रूही परवीन पति- परवेज आलम ग्राम- मझौलिया रोड नियर मस्जिद पो0- प्रधान डाक घर थाना-काजी मोहम्मदपुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/007367	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	रतन देवी पति- दीपक प्रसाद गुप्ता ग्राम- सुभाषनगर पो0- प्रधान डाकघर थाना- सहायक जिला- पूर्णियाँ केस फाईल नं0- 19एफ2026/003770	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	कमल मडल पिता- आनदी मडल ग्राम- एकदारा पो0- बघा कुसमार थाना- खुटौना जिला- मधुबनी केस फाईल न0- 11एफ2026 / 004140	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	मो0 रुस्तम पिता- मो0 सोहराब मोमिन ग्राम- खुर्द मनिहास पो0- कसी सिमरी थाना- सिघवाडा जिला- दरभंगा केस फाईल न0- 19एफ2026 / 002691	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	मालती देवी पति- तारकेश्वर कुमार ग्राम- मरपा मोहन पो0- देवकुलिया थाना- फेनहरा जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 18एफ2023 / 009626	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	सुधा देवी पति- हेमत सिंह ग्राम- घर भरथी पो0- मानपुर रतनावली थाना- रुन्नी सैदपुर जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2025 / 004705	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	पूनम देवी पति- जयतरुण ठाकुर ग्राम- हसनपुर पो0+थाना- नयागाव जिला- सारण केस फाईल न0- 11एफ2025 / 010233	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	अनीता देवी पति- सकलदेव प्रसाद ग्राम- बिशुनपुर पो0- ब्रहाडा थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2024 / 004986	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	जनक कुमार महतो पिता- सुरेश महतो ग्राम- आमदीपुर पो0- हेतनपुर थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर केस फाईल न0- 11एफ2023 / 013021	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	रानी प्रसाद पति- धीरेन्द्र प्रसाद ग्राम- बालूघाट पो- महेन्द्र थाना- सुल्तानगज जिला- पटना केस फाईल नं- 19एफ2026/005270	कैंसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
			26,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 26,00,000/- (छब्बीस लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0 IIDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2197(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर संस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **22.07.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सार्थ निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	अमरेन्द्र सिंह पिता—सीताराम सिंह ग्राम— किशनपुर पो०—केन्दुआ थाना— खडगपुर जिला— मुंगेर एम०सी०एस—जी० 12488	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	लखन सिंह पिता— त्रिवेणी सिंह ग्राम—नत्थन टोला बशौठा पो०—चौसा थाना चौसा जिला— मधेपुरा एम०सी०एस—जी० 11424	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	राधा कुमारी पिता लोचन मडल ग्राम—नरार पश्चिम पो०—नरार पश्चिम थाना—कलुआही जिला—मधुबनी एम०सी०एस—10361372	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	राम प्रवेश ताती पिता—डोमन ताती ग्राम—रमुनिया पो०—बभनगामा थाना—गगौर जिला—खगड़िया एम०सी०एस—10364172	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	रवि यादव पिता-भिसम यादव ग्राम-मसदी पो0+थाना-सुल्तानगज जिला-भागलपुर एम0सी0एस-10364712	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
6	रानी देवी पति- मुकेश कुमार ग्राम-दरियापुर कफेन पो0-दरियापुर कफेन थाना-कुढनी जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-जी0 7720	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
7	साजदा खातुन पति-मोहम्मद इसराफिल ग्राम-सैदपुर पो0-फतुहा थाना-फतुहा जिला पटना एम0सी0एस-10366597	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
8	इत्तेसार आलम पिता-असलम ग्राम-दिलावरपुर पो0- बैरिया थाना-अमदाबाद जिला कटिहार एम0सी0एस-10361218	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
9	मिन्ता देवी पति- बालदेव प्रसाद यादव ग्राम- राजेन्द्र नगर पो0-नवादा थाना+जिला नवादा एम0सी0एस-10360507	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
10	दुखी लाल साह पिता- सुकदेव साह ग्राम+पो0 चपापुर थाना-रामगढवा जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10366585	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
11	खुशी कुमारी पिता-विजय साह ग्राम-लईया टोला पोस्ट-पिपरा पकडी थाना-मुफसिल जिला- प0 चम्पारण एम0सी0एस-10367147	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।

12	रजु देवी पति-प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ग्राम-अनादिपुर पो0- कहलगाव थाना-कहलगाव जिला भागलपुर एम0सी0एस-एफ 45735	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	मास्टर अभिषेक कुमार पिता-शिव कुमार ग्राम+पो0-रौशना थाना-प्राणपुर जिला- कटिहार एम0सी0एस-10366850	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	काजल कुमारी पिता-मुकेश मडल ग्राम- सचिदानन्द नगर पोस्ट- तिलकामाझी थाना- तिलकामाझी ओ0पी0 जिला- भागलपुर एम0सी0एस-10366512	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	मान्ती देवी पति-कुलेश्वर रविदास ग्राम-पैस पो0+थाना नारदीगज जिला-नवादा एम0सी0एस-10365146	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	मनु देवी पति- मृत्युजय सिंह ग्राम-कटेया टोला पो0-टेकनावास थाना-महम्मदपुर जिला-गोपालगज एम0सी0एस-एफ 88734	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	रामाशकर राम पिता- स्व0 मडल राम ग्राम-माझा गद्दी टोला पो0- माझा गढ थाना-माझा गढ जिला- गोपालगज एम0सी0एस-10367356	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	मास्टर राहुल कुमार पिता-रवि कुमार ग्राम-धरहरवा पो0-दीपही थाना-चिरेया जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 11266	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	रेशमा खातुन पति- मो० रेयाजुदीन ग्राम- मखदुम सराय पो०-सिवान थाना-सराय ओ०पी० जिला-सीवान एम०सी०एस-जी० 4611	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	सुलोचना देवी पति- सिकदर यादव ग्राम मादाचक पो०- कठेल थाना- अमरपुर जिला- बाका एम०सी०एस- 10365649	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	किरण देवी पति-विजय कुमार ग्राम- पंचमहला पो०-मोकामा घाट थाना- मोकामा जिला-पटना एम०सी०एस-10361139	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	बशिष्ठ नारायण पिता-पशुपति नाथ सिंह ग्राम- जुआफर पोस्ट-चकियाँ थाना-भगवानपुर हाट जिला-सीवान एम०सी०एस-जी० 13656	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	जौगाली यादव पिता-लालु यादव ग्राम-पडितपुर पो०-पडितपुर थाना-पहाडपुर जिला-पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस-10351816	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	प्रदीप कुमार यादव पिता- स्व० भागलाल यादव ग्राम- मिर्जापुर पो०- टी० एम० बघार थाना- मनिहारी जिला- कटिहार एम०सी०एस-10364185	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	मो० अफजल आलम पिता- मैनुदीन मिया ग्राम+पो०-भैसही थाना-माझागढ जिला-गोपालगज एम०सी०एस-10365549	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	मीरा देवी पति-झालो विश्वकर्मा ग्राम+पो0-पकडी बरावा थाना- पकरीबरावा जिला- नवादा एम0सी0एस-10366868	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	शीला देवी पति-धर्मवीर साह ग्राम-डिलिया पो0-कोआथ थाना-दावत जिला- रोहतास एम0सी0एस-10366962	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	लखन लाल पिता- स्व0 गणेश राम ग्राम- लारस्ट गली जनता कोलनी, पो0-आर0 एस0थाना-डेल्हा जिला- गया एम0सी0एस-10355429	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	किरण देवी पति-सरोज सिंह ग्राम- अथपा पो0-कौलोडहरी थाना- चौरी जिला-भोजपुर एम0सी0एस-10361518	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	भूर्ला राय पिता-काली राम ग्राम-चकला पो0- चकला घाट थाना+जिला किशनगज एम0सी0एस-जी0 6351	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	प्रदीप कुमार पिता- राज कुमार ताती ग्राम- बनवारीपुर मोरा पो0- बेना थाना- बेना जिला नालदा एम0सी0एस- 10365306	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	तेतरी देवी पति-उपेन्द्र यादव ग्राम-पचपोखरी गिरधर बीघा पो0-मुगिया थाना-टडवा जिला- औरंगाबाद एम0सी0एस-10366508	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	जानकी देवी पति- राम लक्ष्मण राय ग्राम-लोहागीर पो0-लोहागीर थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस- 43502/ 10017143	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
34	प्रभावती देवी पति-जनार्दन साह ग्राम+पो0-पचरुखी थाना-पचरुखी जिला-सीवान एम0सी0एस-10366288	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
35	सीता देवी पति-जागेश्वर मोची ग्राम-बेशवक पो0-बेशवक थाना-इस्लामपुर जिला नालन्दा एम0सी0एस-10367315	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
36	राधिका देवी पति- गणेश राय ग्राम-गंडार पो0-डुमरी छपीया थाना-तरैया जिला- सारण एम0सी0एस- 10362316	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
37	निरोध यादव पिता- बिदेश्वरी यादव ग्राम-कुशहा पूर्व पो0-बेलारी थाना-बेलारी ओ0पी0 जिला- मधेपुरा एम0सी0एस-10364958	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
38	रमाकात प्रसाद कुशवाहा पिता-दर्शन भगत ग्राम-पो0-बेलाव थाना-दरौली जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 9942	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
39	सोहन सादा पिता- सिकेन्द्र सादा ग्राम-कोठिया पो0+थाना-महीषी जिला- सहरसा एम0सी0एस-10366252	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।

40	प्रहलाद शर्मा पिता- नन्दलाल शर्मा ग्राम-सुकसेना पोस्ट-नवादा थाना- जलालपुर जिला- सारण एम0सी0एस-10366088	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	यमुना प्रसाद पिता- सीताराम कनु ग्राम प्रताप सागर पो0-पुराना भोजपुर थाना नया भोजपुर जिला बक्सर एम0सी0एस-10362750	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	माधुरी देवी पति- जितेन्द्र सिंह ग्राम-गोरा बिगहा पो0- धनवॉ थाना नरहट जिला नवादा एम0सी0एस-10363703	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	कैलाश चौहान पिता- रामधनी चौहान ग्राम-बेखबन्ना पो0- रोसडा थाना मरगा जिला- पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 72046	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	माया देवी पति- राम गोविन्द तिवारी ग्राम-गलचौर पो0-सरैया थाना-कृष्णागढ जिला- भोजपुर एम0सी0एस-जी0 628	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	नुरेश खातुन पति- शमसे आलम ग्राम-चतर वार्ड 03 पो0- रफीगज थाना रफीगज जिला- औरंगाबाद एम0सी0एस-10366118	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	सतोष कुमार पिता-नागेन्द्र पासवान ग्राम-चकचामेली पो0-सराय थाना हाजीपुर जिला-वैशाली एम0सी0एस-10362696	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	उषा देवी पति- स्व० रमेश यादव ग्राम- लोदीपुर पो० कमला गोपालपुर थाना-मनेर जिला पटना एम०सी०एस-10366639	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	मो० खुशींद असारी पिता- स्व० अब्दुल अजीज ग्राम- लरुई हुसैनाबाद पो०- चौदपुरा थाना बराटी जिला- वैशाली एम०सी०एस-डी० 98958	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	तिलेश्वरी देवी पति- महेन्द्र महतो ग्राम कटारी पो०- इक्वलगज थाना-रानी तालाब जिला- पटना एम०सी०एस-10367545	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	पिकी कुमारी पिता- अनिल चौधरी ग्राम- सादीपुर पो०-चाकद थाना-चाकद जिला- गया एम०सी०एस-10365805	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	सुनिता देवी पति-नरेश मडल ग्राम+पो०-ठाठा थाना-मानसी जिला खगडिया एम०सी०एस-10353470 / जी० 7579	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	मो० सलाम पिता- नुर मोहम्मद साफी ग्राम- भवानीपुर पो०+थाना प्रतापगज जिला- सुपौल एम०सी०एस-10367021	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	मीना देवी पति- अचम लाल सिंह ग्राम- गोपालपुर पो०- नाथुपारा थाना-बहादुरगज जिला-किशनगज एम०सी०एस-10365133	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	बबन शर्मा पिता- धरीक्षण शर्मा ग्राम- मननपुर पो0- शिशवा थाना कल्याणपुर जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10366756	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	शकुन्तला देवी पति- शत्रुधन पूरी ग्राम-औरैया मोजी टोला पो0-त्रिबारी टोला थाना- बाछुछापर जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-10366374	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	सुशीला देवी पति- राम नेरश सिंह ग्राम जगदीशपुर पो0- जगदीशपुर थाना- जगदीशपुर जिला- भोजपुर एम0सी0एस-10366282	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	मालती देवी पति- राजेश प्रसाद ग्राम- खरोध वार्ड 11 पो0- शेरपुर थाना-सिरदला जिला- नवादा एम0सी0एस-10364516	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	पलक कुमारी पिता- अशु कुमार ग्राम- राजीव नगर रोड न0- 23 एच, पो0- केशरी नगर थाना- राजीव नगर जिला- पटना एम0सी0एस-10367219	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	रम्भा देवी पति- प्रेम सहनी ग्राम-रघुनाथपुर पो-मोतिहारी थाना तुरकौलीया जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस- 10365313	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	श्रवण कुमार पिता-पुलकीत राम ग्राम-चक हुसैनी पो0+थाना मानसी जिला खगडिया एम0सी0एस-एफ 82856	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	संगीता कुमारी पिता सजय बहरदार ग्राम-पो0 फतेहपुर थाना- नरपतगज जिला अररिया एम0सी0एस-10367682	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	कान्ति देवी पति-दिलिप रविदास ग्राम-चुनुक बिगहा पो0-गुरुआ थाना-गुरुआ जिला- गया एम0सी0एस-10366833	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	रेखा देवी पति-तारा कान्त चौधरी ग्राम-विष्णुपट्टी पो0-सोनरे थाना-लखनौर जिला मधुबनी एम0सी0एस-10366916	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	शोभा देवी पति- भोला साह ग्राम-कुर्सेला बस्ती पो0- अयोध्यागज बाजार थाना- कुर्सेला थजला- कटिहार एम0सी0एस-10366328	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	सोना देवी पति- राम रतन साह ग्राम- गजियापुर पो0- चोरमा थाना- भगवानपुर हाट जिला- सीवान एम0सी0एस-10366616	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	शिविया देवी पति- शकुल यादव ग्राम- करहारा पो0- चुन्नी थाना भेजा जिला मधुबनी एम0सी0एस-एफ 95345	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	श्यामनन्दन सिंह पिता- स्व0 अवध बिहारी सिंह ग्राम- रामपुर कला पो0- राधागज थाना-फुलवरीया जिला गोपालगज एम0सी0एस-एफ 75251	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	सुरेन्द्र बिन्द पिता— बुधन बिन्द ग्राम— मरपा कला पो0— अमारी थाना—धरहरा जिला— मुगेर एम0सी0एस—10362623	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
69	मनोज यादव पिता— बोधेश्वर प्रसाद यादव ग्राम— सोहमा पो0— सोहमा थाना—बिथान जिला— समस्तीपुर एम0सी0एस—10365513	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
70	उर्मिला देवी पति— सहदेव राम ग्राम—जगनपुरा पो0— न्यु जगनपुरा थाना—रामकृष्णा नगर जिला पटना एम0सी0एस—जी0 9881	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
71	राज किशोर सिंह पिता— स्व0 रामानंद सिंह ग्राम—गुलरिया पो0—बिशनपुरवा थाना आदापुर जिला—पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस—10366402	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
72	किशोर कुमार सहनी पिता— स्व0 मन्ना सहनी ग्राम— आर्य कुमार रोड मछुआ टोली, अपोजिट यूनियन बैंक आफ इंडिया पो0—बाकीपुर थाना—कदमकुआ जिला पटना एम0सी0एस— 10367161	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
73	शिमपी कुमारी पति— सतोष कुमार ग्राम—बिडीडीह पो0—बिडीडीह थाना—सिलाव जिला नालदा एम0सी0एस— 10367273	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

74	जाठी देवी पति- मोतीलाल पासवान ग्राम-सेमरा बिरित पो0-मठिया वृत्त थाना-मझौलीया जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस- 10365221	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
75	सजु देवी पति-राम कुमार शर्मा ग्राम-पो0-कचनावा थाना-बेलागज जिला-गया एम0सी0एस- 10364800	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	सरस्वती देवी पति-ललन ताती ग्राम-सनहा पुरब पो0-सनहा थाना-साहेबपुर कमाल जिला बेगुसराय एम0सी0एस- 10366068	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	बिनोद कुमार दास पिता-मुक्ति दास ग्राम-खेरिया पो0 खेरिया थाना-कोढा जिला कटिहार एम0सी0एस- 10364669	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	रामदाई देवी पति-सुकमार राम ग्राम-बलुआ पो0- करहरी थाना-लौकही जिला- मधुबनी एम0सी0एस-जी0 5872	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	नन्ही कुमारी पति-समीर कुमार ग्राम-सिमरा पासवान टोला पो0-डुमरा थाना डुमरा जिला सीतामढी एम0सी0एस-एफ 99062	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	प्रदीप कुमार पिता- मदीप चौधरी ग्राम-जमालपुर पो0-अतिमि थाना-नासरीगंज जिला-रोहतास एम0सी0एस-10366648	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

81	दौलती देवी पति- सुनील बिंद ग्राम-पो0- नदौल थाना मसौढी जिला पटना एम0सी0एस- 10367687	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
82	दुलारी देवी पति-महेश राय ग्राम-बसता पो0-घतारो थाना-घतारो जिला-वैशाली एम0सी0एस-10364803	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
83	मनोरमा देवी पति- नागेश्वर पासवान ग्राम-शामाबाद पो0- अम्बा थाना रहुइ जिला नालदा एम0सी0एस-10363967	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
84	लालमुनी देवी पति-अर्जुन सिंह ग्राम-मझरीया पो0-बेलवाई थाना-काराकाट जिला- रोहतास एम0सी0एस-10364908	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
85	भगवान साह पिता- इन्दर साह ग्राम- लहलादपुर पो0-पडवा थाना-माझागढ जिला-गोपालगज एम0सी0एस-10363694	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
86	महेन्द्र राय पिता- स्व0 करमु राय ग्राम-आजाद नगर रोड न0-2 पो0-लोहिया नगर थाना-ककडबाग जिला पटना एम0सी0एस-10367107	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
87	राज कुमारी देवी पति-राधे श्याम बिंद ग्राम-मधुवन पो0-पथरहट थाना धनरुआ जिला-पटना एम0सी0एस-10366115	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

88	मुन्नी देवी पति- राजेश्वर यादव ग्राम-नेयामतपुर धुधुआ पो0-खदहा थाना-एन0टी0पी0सी0 जिला- औरंगाबाद एम0सी0एस-10366086	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
89	सुमन देवी पति- बाल किशुन राम ग्राम-हसनपुर जुनेद पो0-हसनपुर थाना-महनार जिला वैशाली एम0सी0एस-10366094	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
90	राधिका देवी पति- ब्रहादेव ठाकुर ग्राम-गहलौर पो0-मरकामा थाना-सिकन्दरा जिला- जमुई एम0सी0एस- 10366655	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	सजय सिंह पिता- राम औतार सिंह ग्राम+पो0-घोघसा थाना-हलसी जिला- लखीसराय एम0सी0एस-10367220	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	राम नारायण सिंह पिता- सिगासन सिंह ग्राम-भितभेरव पो0-थाना गोपालगज जिला गोपालगज एम0सी0एस-जी0 11965 /10357856	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	अमुका देवी पति-दशरथ यादव ग्राम-सोनक वार्ड 09 पो0-कर्णपुर थाना+जिला सुपौल एम0सी0एस- 10351093/ जी0 5202	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	नागेन्द्र ठाकुर पिता-प्रसाद ठाकुर ग्राम-गवन्दा टोला बुलाचक पो0-गवन्दा थाना-चकिया पी0एस0 जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10365338	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

95	इगल कुमारी पति जीतन कुमार ग्राम+पो-हेतनपुर थाना-शाहपुर पटोरी जिला समस्तीपुर एम0सी0एस-10365340	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
96	सुरेन्द्र पासवान पिता- मुशी पासवान ग्राम-बेदोली पोस्ट+थाना लालगज जिला-वैशाली एम0सी0एस-10360993	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	राधेश्याम चौधरी पिता- अनरुद चौधरी ग्राम-पथरा दक्षिण पो0-पथरा दक्षिण थाना-पिपरा जिला सुपौल एम0सी0एस-10367752	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	माया देवी पति- कमल प्रियनन्दन प्रसाद ग्राम+पो0-जमऑव थाना-पीरो जिला- भोजपुर एम0सी0एस-10367253	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	जीतन देवी पति- सतीश ठाकुर ग्राम-कुरकुरी पो0-फुलवारीशरीफ थाना फुलवारीशरीफ जिला पटना एम0सी0एस-10367394	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	बीबी हसरत अली पति-मो0 असलम ग्राम-सिमराही पो0-राघोपुर थाना-राघोपुर जिला-सुपौल एम0सी0एस-10363633	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	विजय कुमार पिता- जगदेव यादव ग्राम-सतघरवा पो0- जिन्दापुर थाना-एम0यु0 बोध गया जिला-गयाजी एम0सी0एस-10361719	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

102	रामबली उपाध्याय पिता— अवध बिहारी उपाध्याय ग्राम—महुली बुजुर्ग पो0—गजराजगज थाना—उदवत नगर जिला भोजपुर एम0सी0एस—10363438	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
103	अकिता कुमारी पिता— सत्येन्द्र कुमार ग्राम— नरियाल घाट बनपुरा टोली, पो0— तकियापर थाना— दीघा जिला पटना एम0सी0एस— 10366831	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
104	सबिता देवी पति— अरुण राय ग्राम— कटारू पो0— छाप थाना पारू जिला मुजफ्फरपुर एम0सी0एस—10363612	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	अर्चना कुमारी पति मनोज सिंह ग्राम—जैतपुर पो0—जैतपुर थाना— बडहिया जिला— लखीसराय एम0सी0एस—10367609	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	अलखा देवी पति— शिवानंद पासवान ग्राम—लहसनगज पो0—ख्वासपुर थाना—सिमराहा जिला— अररिया एम0सी0एस—जी0 1530	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	सुभद्रा देवी पति—दहाउर महतो ग्राम— भलुआहियों पो0 डुमरी खुर्द थाना— मेजरगज जिला— सीतामढी एम0सी0एस—10361361	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
108	पुजा देवी पति—अमित सहनी ग्राम— टिक्कर टोला पो— शाहपुर थाना— ग्वालपाडा जिला— मधेपुरा एम0सी0एस—10365082	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

109	अमेरिकन सिंह पिता— ईश्वर दयाल सिंह ग्राम—मोहनपुर पो0+थाना मनेर जिला पटना एम0सी0एस—10365986	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत ।
110	बबीता कुमारी पति—शिवदानी पासवान ग्राम— दरियापुर पो0—हाथीदह थाना— हाथीदह जिला— पटना एम0सी0एस—10367580	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
111	मुकेश कुमार राय पिता— यमुना प्रसाद राय ग्राम— रघुनाथपुर पो0— बारसोई थाना—बारसोई जिला— कटिहार एम0सी0एस—जी0 11007	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
112	शजरा बेगम पति— मो0 सगीर अहमद ग्राम— गदर पो0—बटिया थाना—सोनो जिला जमुई एम0सी0एस—एफ 15986	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
113	अनिता देवी पति— राजेन्द्र राम ग्राम— हरपुर पो0— मनवा परसी थाना—शिकारपुर जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस—10358531 / जी0 12640	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
114	नागेद्र तिवारी पिता— स्व0 रामनाथ तिवारी ग्राम— सरेया पो0— सरेया खास थाना— गोविन्दगज जिला— पूर्वी चम्पारण एमसीएस न0— 10366825	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

115	देवानन्द सिंह पिता- राम रतन महतो ग्राम- हरियरी पो0- ब्रह्मपुर थाना- फुलपरास जिला- मधुबनी एमसीएसी न0- 10367578	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
116	अनिल चौधरी पिता- स्व0 नागेश्वर चौधरी ग्राम- इटहरी पो0- फुदकीचक थाना- गोगरी जिला- खगडिया एमसीएस न0- 10366353	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
117	विनय कुमार पिता- शम्भू पाल ग्राम- सगुना गाँधी मूर्ति दानापुर कैट पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना एमसीएस न0- 10368211	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 97,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 97,00,000/- (सन्तानवे लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,

शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / -

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2206(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,

ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राज किशोर साह पिता- स्व० दशरथ साह ग्राम- हथसारगज पो०- हाजीपुर थाना- हाजीपुर नगर जिला- वैशाली	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	श्वेता भारती सिंह पति- मुकेश कुमार सिंह ग्राम- बीहट मकससपुर टोला पो०- बीहट थाना- बरौनी जिला- बेगूसराय	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	मीना देवी पति- बालदेव साह ग्राम+पो०- बसैटी थाना- बाँसी जिला- अररिया	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	विमला देवी पति- मोजेलाल महतो ग्राम- द्वारिकापुर पो०- गोविंदपुर थाना- मंसूरचक जिला- बेगूसराय	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	कुसुम देवी पति- मम्मल पासवान ग्राम- मुरवरिया पो०- रेहुआ थाना- पिपरिया जिला- लखीसराय	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।

6	कचन कुमारी पति- प्रभाकर कुमार पासवान ग्राम+पो0+थाना- मीरगज जिला- पूर्णियाँ	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
7	कमलेश कुमार पिता- लखी चन्द्र चौधरी ग्राम+पो0- इटौरा थाना- मानपुर जिला- नालंदा	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	मजु देवी पति- लाला प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- कुरथौल थाना- परसा बाजार जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	ओम प्रकाश मेहता पिता- स्व0 राम चंद्र मेहता ग्राम- संदलपुर पो0- महेन्द्र थाना- बहादुरपुर जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
10	वीणा देवी पति- उमेश चंद्र सिंह ग्राम- बेलधना पो0- नूरसराय थाना- चंडी जिला- नालंदा	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
11	नदकिशोर सिंह पिता- रामलखन सिंह ग्राम- कुरहाबार पो0- केताकी थाना- देव जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	राजा राम सिंह पिता- सोनमन सिंह ग्राम- रामपुर घोष पो0- मजोश थाना- सिकन्दरा जिला- जमुई	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	ललिता देवी पिता- स्व0 लक्ष्मी लाल ग्राम- न्यू कॉलोनी बागेश्वरी रोड गुमटी पो0- आर एस गया थाना- डेल्हा जिला- गयाजी	हृदय रोग एमबीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			12,60,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,60,000/- (बारह लाख साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0

30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम—“निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना” खाते का प्रकार— चालू बैंक का नाम—इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम—कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसूली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2207 (14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/26
निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रभुनाथ तिवारी पिता- स्व० सुरजन तिवारी ग्राम- देवढिया पो०- परसागढ थाना- एकमा जिला- सारण रजि नं०- 3000570565	स्पाइन सर्जरी (सर्वाइकल)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सुसुम कुमार पिता- गगाधर प्रसाद ग्राम- बशवन बिगहा पो०+थाना- वेन जिला- नालंदा रजि न०- 3000648040	हृदय रोग एएसडी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	नीरज कुमार गिरी पिता- अनिरुद्ध गिरी ग्राम- खुगुनी पो०- मदन परसौना थाना- रामगढवा जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी न०- 3000603049	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	बेबी एलेक्स (Baby Alex) पिता- सुशांत कुमार दास ग्राम- शारदा नगर पो०+थाना- सहरसा जिला- सहरसा रजि न०- 3000645974	कोकलियर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			6,40,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,40,000/- (छः लाख चालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000868

द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी०एल०, खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, शाखा का नाम-AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं०- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2208(14)

पटना, दिनांक 31.02.2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/26
निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 22.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अन्जना देवी पति- स्व0 विजय प्रसाद ग्राम- इमलीतल नियर जुमा मस्जिद दानापुर पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सुनीता देवी पति- राजेन्द्र प्रसाद ग्राम+पो0+थाना- रहुई जिला- नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	अरबिंद कुमार पिता- यमुना प्रसाद ग्राम- रानीसराय पो0- बहादुरगज थाना- गिरियक जिला- नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	सरोज देवी पति- स्वारथ यादव ग्राम- शिवाय बिगहा पो0- दोसुत थाना- वेना जिला- नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	शकुंतला देवी पति- रामबली राम ग्राम- तुरहाटोली पो0- दानापुर कैट थाना- शाहपुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	सेवी देवी पति- मधुकर कुमार ग्राम- राजन बिगहा पो0- प्रतापपुर थाना- चडी जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
7	सपन कुमार पासवान पिता- कृत्यानद पासवान ग्राम- मोखरिया पो0+थाना- हसनगज जिला- कटिहार	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
8	साक्षी प्रकाश पिता- ओम प्रकाश यादव ग्राम+पो0- उटेशरा थाना- सलखुआ जिला- सहरसा	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
9	राजनदन प्रसाद पिता- गुलाब चंद यादव ग्राम- उदरचक पो0- अख्तियारपुर थाना- बिक्रम जिला- पटना	Spine Surgery (L2 Biopsy)	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			9,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,10,000/- (नौ लाख दस हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस०बी०आई० ग्रांड उड पलौर ओजन प्लाजा नीयर आर०पीएस० मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2209 (14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 000868.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



सं0सं0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रूबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **22.07.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विनोद राय पिता— स्व० राजमंगल राय ग्राम— मकसुसपुर पो०— खोदाई बाग थाना— खैरा जिला— सारण	हृदय रोग पीटीसीए + स्टेन्ट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— State Bank of India शाखा का नाम —एस०एम०ई० ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2210(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 000868 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/26
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गुडिया देवी पति- दिनेश साहनी ग्राम- मछुआ टोली पो०- बाकीपुर थाना- पीरबहोर जिला- पटना	हृदय रोग एमभीआर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	हिमांशु कुमार पिता- कमलदेव नारायण ग्राम- सुपौल पो०+थाना- नेमदारगंज जिला- नवादा	हृदय रोग एभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	निशांत राज पिता- लक्ष्मण प्रसाद ग्राम+पो०- नेहालपुर थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	सुभान अली पिता- ऐनुल हक ग्राम- भामोपाली पो०- राछोपाली थाना- बडहरिया जिला- सिवान	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
5	रिंकी देवी पति- क्रांति पटेल ग्राम+पो०+थाना- बरौली जिला- गोपालगंज	हृदय रोग एमभीआर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

6	शेख नजरूल हक पिता- शेख दोस्त मोहम्मद ग्राम+पो0- सपही थाना- तुरकौलिया जिला- पूर्वी चम्पारण	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
7	कुन्ती देवी पति- सतोष विश्वकर्मा ग्राम- बरूरी पो0- कुडारी थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
8	जितेन्द्र सिंह पिता- राजनाथ सिंह ग्राम- लरमा पो0- कर्मनाशा थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	अकित कुमार पिता- श्याम नारायण विश्वकर्मा ग्राम- पटना पो0- बारा थाना- नबीनगर जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग एवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	राधा कुमारी पिता- सिकंदर मिस्त्री ग्राम- खाडपर पो0+थाना- शेखपुरा जिला- शेखपुरा	हृदय रोग एसडी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	अनूप कुमार पिता- हरी नारायण साह ग्राम- मिश्र कर्मा पो0- भकुरा थाना- तरारी जिला- भोजपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	मशा गुप्ता पति- नागेन्द्र कुमार ग्राम+पो0+थाना- मोहनियाँ जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			11,10,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि रु0 11,10,000/- (ग्यारह लाख दस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000868.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ



इण्डिया, शाखा का नाम—हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

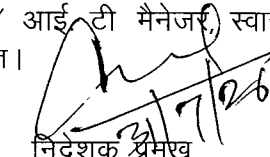
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2211(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000268 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हौस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई०-143
साउथ मलाही पकड़ी चौक
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक...

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामबिलाश सिंह पिता- स्व० रामकिशुन सिंह ग्राम+पो०- मानो थाना- सूर्यगढा जिला- लखीसराय	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	रुबी देवी पति- नवल सिंह ग्राम- बडी पहाडी पो०- सोहसराय थाना- लहेरी जिला- नालंदा	हृदय रोग बीएमभी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-50200037828274 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 22/2 (14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	योगेन्द्र चौधरी पिता- जय प्रकाश चौधरी ग्राम- अमैसीडिहरा पो- दधवा थाना- कोचस जिला- रोहतास	Acute Kidney Injury with Urinary Tract Infection Anaemia Chronic Obstructive Cystitis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 440720110000219 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर0 एन0 कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड स0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2213(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 000868...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/26
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुमित कुमार पिता- श्याम सुन्दर लहकार ग्राम+पो- खोदागज थाना- खुदागंज जिला- नालदा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-440720110000498 खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2214 (14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000868...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01 /2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेंटर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनीर उद्दीन पिता- निसार असारी ग्राम- हकिम साह मोहम्मद लेन पो0- चम्पानगर थाना- नाथनगर जिला- भागलपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	मो० फैजान पिता- हाफिज मो० इसराइल ग्राम- सकुनत खुद्र वार्ड 31 पो०+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालंदा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	राधिका कुमारी पिता- सुनील यादव ग्राम- बसवरिया वार्ड 09 पो०+थाना- साहरघाट जिला- मधुबनी	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	अखतर जमाल पिता- भेख सैजूल ग्राम- मोरसंडा वार्ड 07 पो०- मोरसंडा थाना- फलका जिला- कटिहार	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	फूल देवी पति- दिनेश कुमार मंडल ग्राम- भगवानपुर पो0+थाना- नरहिया जिला- मधुबनी	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
6	सजू देवी पति- पटेल मंडल ग्राम- अटीचक वार्ड 05 पो0- पथरपत्ता थाना- अंतीचक जिला- भागलपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
7	कैलाश महतो पिता- शिव महतो ग्राम- देवरिया वार्ड 14 पो0+थाना- देवरिया जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
8	मो0 सिद्धीके पिता- अलिमुद्दीन ग्राम- काशी बाडी पो0- दोघरिया थाना- कोचाधामन जिला- किशनगज	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
9	जगतनी देवी पति- भीखन महतो ग्राम- दीघा बिदटोली नकटा दियारा पो0- दीघाघाट थाना- दीघा जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
10	चंद्रसेन पासवान पिता- हरिमोहन पासवान ग्राम- लखणगज वार्ड 01 पो0- खवासपुर थाना- सिमराहा जिला- अररिया	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
11	नाहेदा खातुन पति- हकीमुद्दीन ग्राम- सनादीघी सरगा पो0+थाना- बहादुरगज जिला- किशनगज	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
12	महेश राय पिता- जीबछ राय ग्राम+पो0- बिरमाना तुला थाना- अगरघाट जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
13	सियाराम यादव पिता- स्व0 नारायण यादव ग्राम- मुरलीगज वार्ड 15 पो0+थाना- मुरलीगज जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।

14	मीरा देवी पति- उमेश कुमार मडल ग्राम- बैरिया वार्ड 08 पो0- मेहदी थाना- टिकापट्टी जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
15	दुजिया देवी पति- रामयस भगत ग्राम- मनिया वार्ड 09 पो0- मनिया थाना- असॉव जिला- सिवान	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
16	लवकुश कुमार पिता- बिनोद कुमार यादव ग्राम- समरदह वार्ड 15 पो0- हरदिया थाना- बिहियाँ जिला- भोजपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
17	मंजू देवी पति- सतरूधन सिंह ग्राम- इडी वार्ड 03 पो0- खैनिया थाना- भगवानगज जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
18	शाहीन आरा पति- अनीसुर रहमान ग्राम- मुरली भरहवा पो0+ बरगजवा थाना- गौनाहा जिला- पश्चिम चम्पारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
19	नोसरि बेगम पति- तनबीर आलम ग्राम- बभनगांवा वार्ड 06 पो0- मतयारी थाना- टेढागाछ जिला- किशनगंज	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
20	रिजवाना खातून पति- मो0 नौशाद ग्राम- कडाह बातार वार्ड 10 पो0+थाना- सिलाव जिला- नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	मो0 राजा पिता- अलीमाम अली ग्राम+पो0- हरिहास थाना- हुसैनगज जिला- सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			13,20,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,20,000/- (तेरह लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक

ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैसर सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 22/5 (14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0- 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर

मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	भोला राय पिता- राम धनिक राय ग्राम- दक्षिणी मदिरी रोड न0- 27 नियर कृष्ण नगर पार्क पो0- जीपीओ थाना- बुद्धा कॉलोनी जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मो0 इस्लाम पिता- मो0 तालीम ग्राम- मुस्लिम टोला वार्ड 10 पो0+थाना- वैशाली जिला- वैशाली	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सुषमा देवी पति- राजेश्वर चौधरी ग्राम- बडी खगौल चक्रदाहा मोड वार्ड 17 पो0+थाना- खगौल जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सुबी प्रवीण पति- नसीम अहमद ग्राम- नुरानी बाग कॉलोनी वार्ड 53 पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम—एस0एस0 हौस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर” खाते का प्रकार—चालू , बैंक का नाम— इंडियन बैंक, शाखा का नाम— हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड स0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक भाग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2216(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, सबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- **22.07.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सर्वेश कुमार झा पिता- अजय झा ग्राम- कछुआ भषम टोल पो0- चकौली थाना- जाले जिला- दरभंगा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, वेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-1714354694 खाता धारक का नाम-"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स0- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2217(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 001868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई.डी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बिनोद दास पिता- श्याम बाबू ग्राम- मोगलपुरा मौला साई का बाग पो०- झाऊगज थाना- खौंजेकला जिला- पटना	हीप पिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	पुरुषोत्तम शुक्ला पिता- राम पूजन शुक्ला ग्राम+पो०- फतेहपुर थाना- दीदारगज जिला- पटना	ट्रामा सर्जरी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	निरसन राय पिता- चूल्हाइ राय ग्राम+पो०- इनायतपुर थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर	हीप रिप्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	सुनीता कुमारी पिता- राम कुमार कापर ग्राम+पो०- कुरसाहा थाना- मोहिउद्दीनगर जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			4,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक

ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— **33569032861** खाता धारक का नाम—“ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल ” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम —गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलाकर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2218 (14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं० 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी सबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक..... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **22.07.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	रमेश कुमार पिता— दिनानाथ प्रसाद ग्राम— पुरन्दरपुर वार्ड 05 पो०— पुरन्दरपुर थाना— गोरेयाकोठी जिला— सिवान	हृदय रोग एएसडी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	सुनिशा देवी पति— शशिभूषण कुमार सिंह ग्राम— नवादा वार्ड 11 पो०— नवादा थाना— मशरक जिला— सारण	हृदय रोग एमवीआर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मो० अन्जारूल पिता— अब्दुल समद ग्राम— रहमत नगर वार्ड 04 पो०+थाना— मधुबनी जिला— पूर्णियाँ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	लाली देवी पति— साधु शरण ग्राम— नॉर्थ मदिरी पो०— जीपीओ थाना— बुद्धा कॉलोनी जिला— पटना	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			3,20,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000868 आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2219(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / ऑई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक. . .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सजय कुमार पाठक पिता- अवधेश कुमार पाठक ग्राम+पो०- मलहद थाना- बदेया जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग पीटीसीए + स्टेटींग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	गयास उद्दीन पिता- मो० उस्मान गन्नी ग्राम- कमिशनरी बाजार पो०+थाना- शेखपुरा जिला- शेखपुरा	हृदय रोग पीटीसीए + स्टेटींग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	प्रभु गोप पिता- भादो गोप ग्राम- खैरी वार्ड 03 पो०- महिसोना थाना- तेतरहाट जिला- लखीसराय	हृदय रोग पीटीसीए	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	अब्दुल मलिक असारि पिता- मो० युसूफ ग्राम- दहिबत मोमिन टोला वार्ड 01 पो०+थाना- पडौल जिला- मधुबनी	हृदय रोग पीटीसीए	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मो० शाहबुद्दीन पिता— मो० शम्सुद्दीन ग्राम— घघा घाट बक्सरिया टोला वार्ड 51 पो०— महेन्द्रू थाना— सुल्तानगज जिला— पटना	हृदय रोग पेसमेकर	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत
6	मजू देवी पति— नविन कात मेहता ग्राम— डीभीसी रोड यारपुर साउथ ऑफ पोद्दार भवन गर्दनीबाग पो०— जीपीओ थाना— गर्दनीबाग जिला— पटना	हृदय रोग एभीआर	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			5,45,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,45,000/- (पाँच लाख पैतालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं०— 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम—"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार— चालू बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2220(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक स0 000868 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

Bright Sight Eye Hospital,

26B Saket, 2nd Floor,

Beside Disha Deaddiction Centre,

Patliputra Colony, Patna - 800013

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— **22.07.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राम वशिष्ठ ठाकुर पिता— रामदल ठाकुर ग्राम— असाधरपुर पो०— थाथन बुजुर्ग थाना— हाजीपुर जिला— वैशाली	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	देवेन्द्र पासवान पिता— ननपत पासवान ग्राम— असाधरपुर पो०— थाथन बुजुर्ग थाना— हाजीपुर जिला— वैशाली	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	फुलमतिया देवी पति— गौरी शकर राय ग्राम+पो०— जुरावनपुर बाजार थाना— राघोपुर जिला— वैशाली	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	गौरीशकर राय पिता— दौलत राय ग्राम+पो०— जुरावनपुर बाजार थाना— राघोपुर जिला— वैशाली	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	चम्पा देवी पति— महेश राय ग्राम+पो०— काला दीयर थाना— सालीमपुर जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	लक्ष्मण पासवान पिता- सुखदेव पासवान ग्राम- नेवा पो0- दिहरी थाना- पीपडा जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	दयानंद राय पिता- राज बलम राय ग्राम+पो0- जुरावनपुर थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	शकुंतला देवी पति- सोहारन राय ग्राम- सबलपुर चाहराम पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	प्रशा देवी पति- सुरेश कुमार राय ग्राम- सबलपुर हस्ती टोला पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	रामदेव देवी पति- छत्रपति राय ग्राम- सबलपुर हस्तीटोला पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	शांति देवी पति- रामबाबू राय ग्राम- सबलपुर हस्तीटोला पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	उमेश राय पिता- राम इकवाल राय ग्राम- सबलपुर हस्तीटोला पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 18940210000786 खाता धारक का नाम- 'BRIGHT SIGHT EYE HOSPITAL PVT. LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- UCO BANK. KURJEE, PATNA, शाखा का नाम- KURJEE, PATNA, RTGS/IFSC कोड सं० UCBA0001894 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2221(14)

पटना, दिनांक

31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

बिपिन कुमार सिंह
पिता- तेजनारायण सिंह
ग्राम- विशुनपुरतारा वार्ड 02
पो०- गुलवारा मधुबन
थाना- मधुबन
जिला- पूर्वी चम्पारण
पिनकोड- 845420

पटना, दिनांक.....

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बिपिन कुमार सिंह पिता- तेजनारायण सिंह ग्राम- विशुनपुरतारा वार्ड 02 पो०- गुलवारा मधुबन थाना- मधुबन जिला- पूर्वी चम्पारण पिनकोड- 845420	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 2317305411, खाता धारक का नाम- BIPIN KUMAR SINGH, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- CENTRAL BANK OF INDIA, शाखा का नाम- KRISHNANAGAR, IFSC कोड स०- CBIN0282595 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

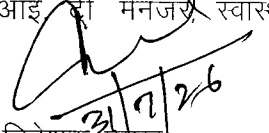
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2231(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई सी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


21/7/26
निदेशक प्रमुख

ऋण योजनार्ये

व्यापारी
मार्गेज
बाय
विद्यार्थी
न वित्त
कल्याणी
न किसान क्रेडिट कार्ड
ट्रेड
सेन्ट रेन्टल्स

हमारी जमा योजनार्ये

चालू जमा खाता
बचत खाता
आवर्ती जमा योजना
मासिक ब्याज जमा रसीद
तिमाही ब्याज जमा रसीद

सेन्ट कन्सुमर
सेन्ट स्कूल
पेशनरी को ऋण
व्यक्तिगत ऋण
सेन्ट मल्टीपुर्पुषण
लघु उद्यमी कर्ड
सेन्ट जेवेल
सेन्ट विवाह
सेन्ट टूर एण्ड टवल्स

संवधि जमा योजना
धनवृद्धि जमा प्रमाणपत्र
सेन्ट उत्तम
सेन्ट्रल फ्लेक्सी यील्ड जमा योजना
वरिष्ठ नागरिक जमा योजना

हमारी सेवार्ये

उत्तर / यात्री चेक
नांग ड्राफ्ट
विदेशी विनिमय
नकदी प्रबधन सेवाये
सेन्ट एक्सप्रेस
सेन्टल कार्ड
मास्टर कार्ड एव वीजा कार्ड
लाकर्स सुविधा
नार अतरण
गारटी व साख पत्र
क्यूसीसी
सेन्ट इन्स्टेन्ट
इटरनेशनल मास्टर कर्ड
डेबिट कार्ड
दीमा उत्पाद
(भारतीय जीवन बीम निगम
एव न्यू इंडिया एश्युरेन्स कं. लि.)

सेन्ट्रल बैंक
ऑफ इंडिया



Central Bank
of India

पिन कोड - 400 001
पिन कोड - 400 001

पिन कोड - 400 001
पिन कोड - 400 001
पिन कोड - 400 001
पिन कोड - 400 001

09/08/2017

तारीख / Date

शाखा प्रबधक
BRANCH MANAGER

लेखाकार
ACCOUNTANT